प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023 प्र.इ.रि.स 253/23 दिनांक 20/9/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव अन्तर्गत धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. : –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 406 समय 5.40 pm
   (2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 13.04.2023 समय 11.47 एएम, 11.49 एएम, 11.53 एएम, 11.55 एएम एंव वार गुरूवार दिंनाक 20.04.2023 समय 12.50 पी.एम.
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.04.2023 समय 10.30 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 235 किलोमीटर एंव 310 किलोमीटर
   (2) पता – केरिया चौराया/पडासोली चौराया तहसील बदनोर जिला भीलवाडा एंव भ्रनिब्यूरों चित्तौडगढ

   .... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   (1) नाम : श्री गोपाल लाल रावल
   (2) पिता का नाम : श्री शम्भुलाल
   (3) आयु : 37 साल
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ......
   (6) व्यवसाय : वेटनरी कम्पाउडर
   (7) पता : निवासी गोरण्डिया ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्रीमती कोयली देवी पत्नि श्री बालू राम भील उम्र 69 साल जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हाल सरंपच ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा।
   2. श्री नन्द लाल भील पुत्र श्री बालू राम भील उम्र व्यस्क जाति भील निवासी निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति

भारतीय चलन मुद्रा 2,50,000 रूपये परिवादी श्री गोपाल लाल रावल के साहु एग्रो टेडर्स के नाम कि फर्म का भुगतान 1.37 करोड़ के बिल पास करने कि एवज में आरोपी श्रीमती कोयली देवी के कहने पर उसके पुत्र श्री नन्द लाल भील द्वारा 4,50,000/– रूपये कि मांग कर 2,00,000/– लाख रूपये पूर्व में प्राप्त करना व 2,50,000/– रूपये कि और मांग करने पर दिंनाक 20.04.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिस पर आरोपीगण को शंका हो जाने से रिश्वत राशि 2,50,000/– रूपये रूपये ग्रहण नही किये गये।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 2,50,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौड़गढ़ (राजस्थान)

विषय : – कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत्।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि "मुझ प्रार्थी गोपाल लाल पुत्र श्री शम्भू लाल रावल उम्र 37 साल, निवासी गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजुन्दा, पंचायत समिति बदनोर, जिला भीलवाडा, वेटेनरी कम्पाउण्डर बोरेला तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा हूं। मेरे निजी ट्रेक्टर जे.सी.बी, इत्यादि कार्य भी करता हूं। मेरी मशीनरी फर्म साहु एग्रो ट्रेडर्स आसीन्द के अन्तर्गत कार्य करती है। ग्राम पंचायत बाजुन्दा में हाल में होकर साहु एग्रो के नाम से है । उक्त ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में साहु एग्रो द्वारा 1 करोड 37 लाख रूपये का कार्य किया गया है। ग्राम पंचायत बाजुन्दा का कार्य साहु फर्म से संबंधित बिल इत्यादि भुगतान से संबंधित कार्य मेरी मशीनरी होने से मेरे भुगतान समय पर कराने के कारण में ग्राम पंचायत बाजुन्दा सरपंच श्रीमती कोयली देवी के हस्ताक्षर करावाने हेतु ग्राम पंचायत बाजुन्दा का समस्त कार्य सरपंच पुत्र श्री नंदलाल भील द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के क्षैत्र में जितने भी कच्चे एवं पक्के निर्माण कार्य की देखरेख स्वयं सरपंच पुत्र श्री नंद लाल भील ही देखता है। और ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यो का भुगतान बिना कमीशन के सरपंच पुत्र द्वारा नही किये जाते है। मेरे मशीनरी साहु एग्रो ट्रेडर्स के अधीन नरेगा सम्बंधित कार्य किये जिसका फर्म का भुगतान 1.37 करोड रूपये के बिल बकाया चल रहे है। जिसके भुगतान के लिए मैं सरपंच साहिबा से मिलता हूं तो सरपंच साहिबा साक्षर है। उसका समस्त कार्य सरपंच पुत्र श्री नंद लाल भील देखता है। जिससे 1, 2 माह पूर्व मिला उनको बताया की यह बिल है । जिनको नरेगा सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन करवाने है। तो उन्होने बोलो की मेरा जो कमीशन बनता है। वो मुझे दे दो तब मैंने बोला कि अभी इन बिलों पर साइन करवाकर इनको ऑनलाइन करवा दो जब भी फर्म के खाते में पैसा आयेगा तो आपको आपका कमीशन मिल जायेगा जिस पर सरपंच पुत्र नंदलाल ने सरपंच के हस्ताक्षर करवाकर बिल पंचायत समिति बदनोर में प्रस्तुत कर दिये किन्तु बिल पास नही होने पर फर्म की तरफ से कमीशन सरपंच पुत्र को नही दिया गया इसलिये ग्राम पंचायत की तरफ से उक्त बिल पास करने पर ऑब्जेक्शन लगा दिया तब फर्म की तरफ से मैंने दिनांक 05.04.2023 को सरपंच पुत्र से मिला तो सरपंच पुत्र ने कहा कि कमीशन दे दो तो मैं ऑब्जेक्शन हटा देता हुं तब 4 लाख 50 हजार रूपये देना तय हुआ फिर दिनांक 06.04.2023 को उप सरपंच प्रतिनिधी चम्पा लाल बलाई के मार्फत दो लाख रूपये रोकडी सरपंच पुत्र श्री नंदलाल भील को दिये जिसका फोटोग्राफ संलग्न है। अब शेष राशि दो लाख पचास हजार रूपये और मांग रहा है। यदि मेरे द्वारा उक्त शेष राशि 2,50,000 रूपये नही देता हुं तो वो मेरे बिलों को ऑब्जेक्शन में रखेगा ।

अतः मैं ऐसे भ्रष्ट सरपंच, सरपंच प्रतिनिधी श्री नंद लाल भील को 2,50,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुए को पकडवाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं । मेरी सरपंच, सरपंच प्रतिनिधी से कोई निजी रंजिश एवं पूर्व का बकाया लेनदेन नही है। कार्यवाही करावें

प्रार्थी
एस.डी./–
गोपाल लाल रावल
M- 96724–11477

कार्यवाही पुलिस

दिंनाक 13.04.2023 समय 10.30 एएम

"मजमून रिपोर्ट परिवादी श्री गोपाल लाल रावल से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि "मैं वेटनरी विभाग में कम्पाउण्डर हुं । मेरा पस्तैनी गांव गोरण्डिया थाना बदनोर जिला भीलवाडा में है। मैं अपनी नौकरी के साथ साथ निर्माण कार्य हमारी ग्राम पंचायत बाजुन्दा जिला भीलवाडा में करता हू मेरे पास जे.सी.बी. ट्रैक्टर है साहु एग्रो नामक फर्म शांति लाल और सुरेन्द्र कुमार ओर शिवराज साहु की फर्म है यह प्रतापपुरा (आसीन्द) के है इनकी फर्म के मार्फत मैं अपनी मशीनरी से कार्य करता हूं समस्त सामग्री इसी फर्म से लेता हुं तथा रूपयों का भी लेन देन चलता रहता है। अगस्त 22 में ग्राम पंचायत बाजुन्दा ने नरेगा का टेन्डर किया था सी.सी.रोड, ब्लॉक रोड ग्रेवल सडक, फेसवाल तालाब के कार्य हमने साहु फर्म के नाम से टेन्डर डाला था यह कार्य हमें ही मिला था, मैंने सी.सी रोड (6 सी.सी रोड, 2 बाजुन्दा में एवं 1 गोरन्डिया में, 1 गायलु का खेडा, 1 गडवई एवं, 1 ऊर्रा बाजुन्दा में) 5 ब्लॉक रोड, 2 ग्रेवल सडक, 1 मोर्डन तालाब की फेसवाल वगैरा कुल 1 करोड 37 लाख रूपये के कार्य मैं कर चुका हूं इनके बिल भी दे चुका हूं किन्तु सरपंच कोयली देवी जो अनपढ है का बेटा नन्द लाल भील (नन्द किशोर) इस राशि का 10 प्रतिशत मांग रहा है किन्तु अत्यन्त अनुनय विनय के बाद दिनांक 06.04.2023 को दोपहर 2 बजे ग्राम बलेव (थाना बदनोर भीलवाडा) में प्रेमनाथ योगी के घर पर जहां प्रेमनाथ, उपसरपंच प्रतिनिधि चम्पालाल बलाई वगैरा मौजुद थे, नन्द लाल भील को 2 लाख रूपये दिये थे, यह रूपये चम्पालाल के हाथ ही दिलवायें थे, इसकी फोटो भी खिंची थी जो पेश कर रहा हूं अब शेष 02.50 लाख रूपयें मैं इस सरपंच पुत्र को नही देना चाहता हूं, कार्यवाही करवाना चाहता हूं । ग्राम पंचायत बाजुन्दा की सरपंच कोयली देवी है, 02 लाख रूपये मैने शिवराज साहु, साहु एग्रो, वालो से लेकर ही नन्दलाल को दिये थे दिनांक 06.04.2023 को शेष 02.50 लाख रूपये भी मैंने 11.04.2023 को शिवराज जी से ले लिए है किन्तु अब में देना नही चाहता हूं इन्हे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार ही करवाना चाहता हूं ।

सम्पूर्ण हालात से मामला PC ACT का बनता है अतः कार्यवाही आरम्भ की जाती है। परिवादी ने बताया की आरोपी सरपंच पुत्र नन्द लाल उससे मोबाईल पर बात करके ही रिश्वत मांग लेगा वह उससे वार्ता करता रहता है अतः वार्ता करवाना उचित है ।

इसके पश्चात् समय करीब 11.19 ए.एम पर परिवादी एवं साथी महेन्द्र को मेरे कक्ष में भली भांति सुनने के उपरान्त आरोपी के मोबाईल नम्बर (जो परिवादी के फोन में सेव है) 90014–88260 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 96724–11477 से सामान्य वार्ता करवाई गई जिससे लेन देन की पुष्टि हुई तथा उक्त वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई । तत्पश्चात् समय करीब 11.25 ए.एम. पर आरोपी के मोबाईल नम्बर 90014–88260 को ट्रू–कॉलर नामक ऐप पर चेक किया तो यह नम्बर नंदा भील गोरण्डिया सरपंच के नाम होना ज्ञात हुआ उसका स्क्रीन शॉट मेरे द्वारा लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह नम्बर नंद लाल भील

का ही है । इसके पश्चात् समय करीब 11.47 ए.एम पर परिवादी से वार्ता होती रही इसी दौरान आरोपी नंद लाल ने परिवादी के मोबाईल पर 4 बार वार्ता करने हेतु MISS. CALL की जिस पर परिवादी की आरोपी से पुनः वार्ता करवाई गई (उन्ही मोबाईल नम्बर पर) वार्ता को नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। तदोपरान्त समय करीब 11.53 ए.एम पर परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन स्पष्ट करने के लिए पुनः उक्त मोबाईल नम्बरो पर दोनों के मध्य वार्ता करवाई गई जिसे भी ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया किन्तु उक्त वार्ता अधुरी रही, जिस पर समय करीब 11.55 ए.एम पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर पुनः वार्ता करवाई गई उपरोक्त वार्ताओं से आरोपी नंद लाल द्वारा रिश्वत मांगना पाया गया उपरोक्त वार्ताए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में हैड कानि0 श्री ओमप्रकाश द्वारा ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड की गई । इसके बाद समय करीब 12.02 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से शिवराज साहू से उनके मोबाईल नम्बर 94145–72958 पर वार्ता करवाई की पूर्व में सरपंच प्रतिनिधि श्री नंद लाल भील को 02 लाख रूपये दिनांक 06.04.2023 को देने के लिए एवज शेष रिश्वत राशि 02.50 लाख रूपये दिये जाने हेतु फर्म से लिये गये जिसकी पुष्टि मोबाईल वार्ता से हुई इस वार्ता को भी ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड की गई । इसके उपरान्त समय करीब 01.06 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 96724–11477 से उप सरपंच प्रतिनिधि श्री चम्पालाल बलाई निवासी बाजुन्दा के मोबाईल नम्बर 96634–63634 पर वार्ता करवाई इस वार्ता से यह स्पष्ट हुआ की दिनांक 06.04.2023 को नंद लाल भील को जो दो लाख रूपये दिये गये थे वो बिल पास करने की एवज में ही दिये गये थे उक्त वार्ता को भी ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड की गई । तत्पश्चात् समय करीब 01.15 पी.एम पर परिवादी ने बताया की अभी मेरे पास केवल एक लाख रूपये है अभी निजी कार्य है दिनांक 17.04.2023 को प्रातः 10 बजे सम्पूर्ण रिश्वत राशि 02.50 लाख रूपये लेकर हाजिर हो जाउंगा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर (उसके साथी महेन्द्र सहित) ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया तथा आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होने पर आगामी कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। इसके बाद समय करीब 01.30 पी.एम पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया।

फिर दिनांक 20.04.2023 को समय करीब 06.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुनील कुमार कानि0 नम्बर 264 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि भीलवाडा पहूंच श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 नम्बर 64 के साथ जाकर ग्राम बाजुन्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा पहूंच परिवादी श्री गोपाल लाल रावल से सम्पर्क कर संदिग्ध श्रीमती कोयली देवी भील, सरपंच, ग्राम पंचायत बाजुन्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में रिकार्ड वार्ता करें, श्री सुनील कुमार कानि0 को मय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के उक्त कार्य के लिये रवाना किया गया । इसके पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 को जरिये कार्यालय पत्र क्रमांक स्पेशल दिनांक 20.04.2023 द्वारा श्रीमान् पी.एम.ओ. सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ के नाम एवं कार्यालय पत्र क्रमांक स्पेशल 02 दिनांक 20.04.2023 द्वारा श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्तौडगढ के नाम जारी कर 01–01 स्वतन्त्र गवाहान को पत्र वाहक के साथ पाबन्द कर भिजवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना किया गया । इसके पश्चात् समय करीब 11.00 ए.एम. पर श्री शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 ने ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि तहरीर लेकर मैं श्रीमान् पी.एम.ओ.

सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ के कार्यालय मे गया व तहरीर दी जिस पर श्रीमान् पी.एम.ओ. सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ ने मुझे अपने कार्यालय से एक स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाया । तत्पश्चात् मैं श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्तौडगढ के कार्यालय मे गया व तहरीर दी जिस पर श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चित्तौडगढ ने मुझे अपने कार्यालय से एक स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाया जिस पर मैं उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ मे अपने साथ लेकर उपस्थित आया हूं । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए दोनों स्वतंत्र गवाहान से उनका परिचय पूछा तो एक स्वतन्त्र गवाह ने अपना नाम श्री सुर्यकान्त सैनी पुत्र श्री केसरदेव सैनी उम्र 36 साल निवासी ग्राम रतन शहर, पुलिस थाना बगड जिला झुन्झुनू हाल व्याख्याता महात्मा गांधी राजकीय विधालय स्टेशन चित्तौडगढ व मोबाईल नम्बर 7357502275 होना बताया व दूसरें स्वतन्त्र गवाहान ने अपना नाम डॉ. दुष्यन्त पाल सिंह पुत्र श्री केशवपाल सिंह उम्र 35 साल निवासी मोतीविहार सांगानेर जयपुर हाल सहायक आचार्य, दन्त चिकित्सा विभाग राजकीय मेडीकल कॉलेज चित्तौडगढ व मोबाईल नम्बर 9887331555 होना बताया था । इसके उपरान्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के अन्य कक्ष में बैठाया गया । तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा श्री जयराम कानि0 चालक को निर्देश प्रदान किये कि ब्यूरो कार्यालय के मालखानें से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि को निकालकर सरकारी वाहन टवेरा के डेशबोर्ड में अपने पास सुरक्षित रखें । तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक श्री दया लाल चौहान व दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 के मय बोलेरो के रवाना होने से पूर्व आगे–आगे रवाना कर श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0, श्री मान सिंह कानि0 एवं श्रीमती आशा महिला कानि0 मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, यू.पी. एस. तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सभी लेखन सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 नम्बर 533 के बजानिब आसीन्द जिला भीलवाडा की ओर रवाना होकर समय करीब 03.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के सोपुरा चौराया दडावत रोड के पास पहूंच दोनो सरकारी वाहनों को साईड में खडा करवाकर दोनो वाहनों से उतरें । जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, श्री सुनील कुमार कानि0 मय परिवादी श्री गोपाल लाल रावल के उपस्थित मिलें, जहां पर परिवादी श्री गोपाल लाल रावल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया । उक्त स्थान पब्लिक आवागमन होने एवं विधुत उपकरण चलाये जाने की सुविधा नहीं होने से पास मे स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल आसीन्द के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय वाहनो के रवाना होकर समय करीब 03:15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के सोपुरा चौराया दडावट रोड के नजदीक स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विधालय आसीन्द का भवन है जिसमे विधालय समय समाप्त होने से छात्र/छात्रायें नहीं होने से सुरक्षा की दृष्टी एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेपटॉप मय प्रिन्टर चालु रखने के लिये विधालय के मेन गैट पर पहुंच उपस्थित सुरक्षा गार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान का गोपनीय कार्यवाही के हिसाब से विधालय में रूक कर कार्य सम्पादित करने हेतु अनुमति चाही गई तो सुरक्षा गार्ड द्वारा विधालय के उच्च अधिकारी से वार्ता करा विधालय में केम्प करते हुये अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने हेतु निवेदन करने पर दोनों ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की । इस पर परिवादी श्री गोपाल लाल रावल व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराकर परिवादी द्वारा दिनांक 13.04.2023 को पेश शुदा लिखित रिपोर्ट को दिखाया गया एवं पढाया गया । परिवादी ने लिखित

रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष ताईद की तथा प्रार्थना पत्र स्वयं हस्तलिखित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया । परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में प्रस्तुत डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे पूर्व रिकार्ड वार्ता दिनांक 13.04.2023 को परिवादी एवं आरोपी, परिवादी एवं फर्म प्रोपराईटर तथा परिवादी एवं उपसरपंच प्रतिनिधि के मध्य मोबाईल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिनके द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना बताया । रिश्वत राशि मांग सत्यापन से सम्बन्धित मोबाईल वार्ताओं एवं आज दिनांक 20.04.2023 को परिवादी व संदिग्ध सरपंच श्रीमती कोयली देवी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक–पृथक से हुबहु शब्द ब शब्द में एवं हिन्दी रूपान्तरण कार्यालय हाजा के कानि श्री मान सिंह द्वारा तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ताओं की सीडी अकब से तैयार की जायेगी।

इसके उपरान्त समय करीब 06.35 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गोपाल लाल रावल से संदिग्ध आरोपी सरपंच पुत्र श्री नंदलाल भील को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री गोपाल लाल रावल ने अपने पास से 2000–2000 रूपये को 115 नोट एवं 500–500 रूपये को 40 नोट कुल राशि 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 DU 272841
2.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 CA 258130
3.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 FR 120962
4.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 LF 211460
5.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 CN 235826
6.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 ED 273824
7.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 BW 290130
8.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 FB 145732
9.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 CU 595397
10.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 AP 584226
11.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 DA 363118
12.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 EV 020760
13.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 BC 221084
14.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 KA 222093
15.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 DL 024619
16.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 MG 434185
17.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 LD 473025
18.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 EB 283518
19.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 GB 167279
20.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 ET 783554
21.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 HQ 250723
22.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 AS 162998

23.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 MT 671341
24.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 CA 143637
25.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 CT 031029
26.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 LD 941448
27.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 BD 862267
28.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 MM 905455
29.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 FP 636015
30.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 EW 653640
31.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 BT 916193
32.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 FV 836529
33.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 LD 175325
34.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 GW 330164
35.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 KB 503147
36.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 DU 279037
37.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 MM 613841
38.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 EH 040697
39.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 LE 949935
40.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 KE 979725
41.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 EH 809430
42.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 CT 871673
43.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 FH 761287
44.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 EG 669033
45.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 AQ 287322
46.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 CN 910231
47.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 EW 662200
48.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 CM 055708
49.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 BD 380493
50.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 DD 415862
51.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 KG 166238
52.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 CQ 268893
53.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 FD 366088
54.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 HT 086845
55.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 BF 575800
56.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 GB 657599
57.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 CN 439622
58.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 LA 561923
59.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 DH 729845

60.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	2 BC 748822
61.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	2 FS 721884
62.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	0 DU 452777
63.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	9 ES 927923
64.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	2 MD 069244
65.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	3 DG 374958
66.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	4 LN 072722
67.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	8 KH 966355
68.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	5 LP 609604
69.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	6 KU 517600
70.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	5 BT 784655
71.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 FE 828427
72.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	6 AG 598981
73.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	0 AB 562487
74.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	8 GD 880571
75.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	3 BU 483595
76.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	7 FQ 562016
77.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	4 HQ 378016
78.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 KC 280401
79.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 DV 635314
80.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 KA 423039
81.	एंक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	6 ES 010712
82.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 BU 874786
83.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	7 GS 495408
84.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	9 BM 628308
85.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	8 CC 908126
86.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	6 AA 659247
87.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	5 AG 141356
88.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	3 MM 398336
89.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	6 BC 629502
90.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 BN 388963
91.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	2 GG 211155
92.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	7 BD 806861
93.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	4 GW 416612
94.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	9 DU 521958
95.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	1 HK 624545
96.	एक नोट 2000/— रूपये का नम्बरी	0 GH 440935

97.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 ML 260089
98.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GG 232373
99.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 LK 240258
100.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 AB 643373
101.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 DQ 023779
102.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 KF 288881
103.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 MU 107519
104.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 FT 583461
105.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 CS 866606
106.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 KF 915289
107.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 DR 764445
108.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 KU 439063
109.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 KQ 335900
110.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 AS 451989
111.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GA 549803
112.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 EP 341322
113.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 DS 242096
114.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 FH 300703
115.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 FA 283413
116.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 VL 099127
117.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 RB 068236
118.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 AL 902596
119.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 UG 756193
120.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 HV 235156
121.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 DN 133293
122.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 AC 462581
123.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 WP 501819
124.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 LB 987228
125.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 CN 084660
126.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 LF 182447
127.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 NH 665985
128.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 VB 899734
129.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7 QN 639938
130.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 TU 062234
131.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 WM 353741
132.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 HV 829001
133.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7 CP 882230

134.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 VD 056478
135.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 AQ 685295
136.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 EG 149439
137.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 RW 468032
138.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 DE 095122
139.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 BN 789663
140.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 TN 178581
141.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 FV 392624
142.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 TA 775926
143.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 NH 316579
144.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 NE 251868
145.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 DT 919517
146.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 FE 418660
147.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 NC 109243
148.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 BW 977992
149.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 TA 265323
150.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 AV 964101
151.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 TG 379009
152.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 GE 202948
153.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 WU 681318
154.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 AS 178998
155.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 ED 610964

उपरोक्त समस्त नोटो पर श्री जयराम कानि0 चालक नम्बर 533 को अपने पास रखे फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकालकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री गोपाल लाल रावल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये । श्री शेर सिंह कानि0 नम्बर 296 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री जयराम कानि0 नम्बर 533 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जयराम कानि0 नम्बर 533 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान सरकारी वाहन में ही रहने हेतु हिदायत दी गई । इसके उपरान्त उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार

साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के बाद ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें अथवा मौका मिलनें पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। उक्त गोपनीय ईशारे के सम्बन्ध में सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यों को समझाया गया । इसके उपरान्त श्री शेर सिंह कानि0 नम्बर 296 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, दो नई गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । ततपश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री गोपाल लाल रावल को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री जयराम कानि0 चालक नम्बर 533 के दोनो हाथों को साफ–पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान वाहन में ही रहने की हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई ।

इसके उपरान्त समय करीब 07:10 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल रावल को आरोपी श्री नंदलाल भील की लोकेशन की जानकारी एवं रिश्वत राशि किस जगह लेगा इस बाबत वार्ता करने हेतु परिवादी ने आरोपी श्री नंदलाल के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपी श्री नंदलाल ने परिवादी को केरीया चौराया/पडासोली चौराया पर मिलने के लिये कहा जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान अपने–अपने वाहनों से रवाना होने से पूर्व परिवादी को अपने निजी वाहन में आगे–'आगे रवाना कर हिदायत मुनासिब की गई कि आरोपी को रिश्वत राशि देकर हाथ नहीं मिलावे दूर से ही हाथ जोड कर अभिवादन करें एवं पूर्व निर्धारित इशारा करे तथा लेन–देन की वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करे बाद हिदायत मुनासिब के परिवादी को केरिया चौराया/पडासौली चौराया (पूर्व प्रस्तावित मोबाईल वार्ता में बताये गये स्थान) के लिये रवाना करते हुये, पीछे–पीछे हम सभी अपने वाहन से केरीया चौराया/पडासौली चौराया के लिये रवाना होकर समय करीब 07.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के सरकारी वाहनों को वाहन चालकों द्वारा साईड में खडे करवाकर सभी अपने–अपने उपस्थिति छिपाते हुये खडे हो गये। जहां पर गन्ने जुस के ठेले लगे हुये थे, जिन पर आम आदमी की तरह खडे होकर परिवादी के निर्धारित इशारे का इंतजार करने लगे। हम जहां पर खडे थे वहां से परिवादी हमें आसानी से दिख रहा था सभी की पैनी नजर परिवादी पर ही थी। ततपश्चात् समय करीब 08.00 पी.एम. परिवादी श्री गोपाल लाल रावल ने हैड कानि ओम प्रकाश को मोबाईल कॉल कर बताया कि ''मेरे (परिवादी) से आरोपी श्री नंदलाल की मोबाईल वार्ता हुई तो पहले तो कहा कि मै किसी और आदमी को भेज रहा हुं फिर कुछ समय बाद परिवादी के वापस फोन कर बताया कि मै मेरे बच्चे को भेज रहा हुं'', फिर कुछ समय बाद इंतजार करने के बाद भी आरोपी नंदलाल भील रिश्वत राशि लेने न तो स्वयं आ रहा है ना ही दुसरों को भेजा है, मूझे क्या करना है जिस पर हैड कानि ओम प्रकाश ने उपरोक्त हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने

परिवादी श्री गोपाल रावल को पूनः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विधालय आसीन्द पंहुचने के लिये परिवादी के मोबाईल पर बताया। इसके उपरान्त समय करीब 08.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान मय सरकारी वाहनों एवं परिवादी मय निजी वाहन के निर्धारित स्थान स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विधालय आसीन्द पहुंचे जहां परिवादी से आरोपी श्री नंदलाल भील के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो श्री नंदलाल भील का मोबाईल कॉल घण्टी जाने के बाद भी दो–तीन बार नहीं उठाया, फिर भी कॉल किया तो लास्ट में श्री नंदलाल भील का मोबाईल स्वीच ऑफ/बंद आने पर यह प्रतीत हुआ कि आरोपी श्री नंदलाल भील को कुछ शक सुबा होने से उसने अपना मोबाईल बंद कर दिया है, अब नंदलाल भील रिश्वत राशि आज नहीं लेगा इसलिये अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का स्थगित करते हुये परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई कि उक्त कार्यवाही की गोपनीयता रखते हुये, जब भी आरोपी श्री नंदलाल भील का फोन आवे अथवा व्यक्तिगत रूप से मिले और कहे कि उक्त राशि दे तो तुरंत ब्यूरो को सूचना देगा बाद हिदायत मुनासिब के परिवादी को पूर्व में दी हुई रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,50,000 रूपये गवाह श्री सुर्य कान्त सैनी व्याख्याता से परिवादी की जेब से निकलवाकर सफेद खाली कागज में रखवाकर लपेट कर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखी गई। बाद फारीक परिवादी श्री गोपाल रावल को रूखसत किया गया। इसके उपरान्त समय करीब 08.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू , पुलिस निरीक्षक श्री दया लाल चौहान व दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 के मय बोलेरो एवं श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री ओम प्रकाश हैड कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि0, श्री मान सिंह कानि0 एवं श्रीमती आशा महिला कानि0 मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, यू.पी.एस. तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सभी लेखन सामग्री के जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 नम्बर 533 के बाद फारीक राजकीय विवेकानंद मॉडल आसीन्द जिला भीलवाडा से ब्यूरो चौकी चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर समय करीब 11.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पंहुचें जहां पर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत में दी जाने वाली राशि जो सफेद कागज में लपेट कर रखी हुई है उसको सुरक्षित मालखाना प्रभारी श्री श्यामलाल हैड कानि से मालखाने में रखवाई गई एवं श्री जयराम कानि चालक द्वारा टवेरा के डेस्क बोर्ड में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकालकर लाया जिसको सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई। बाद फारीक गवाहों को रूखसत करते हुये गापनीयता बरतने की हिदायत दी गई।

फिर दिनांक 20.06.2023 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल लाल रावल ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में हालात बताये कि "मैनें आरोपी श्री नन्द लाल भील सरपंच पुत्र से मोबाईल पर बातचीत करते हुए मेरे बिल पास करने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री नन्द लाल भील ने बिल पास करने के लिये बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपकी कोई मदद नही कर सकता हूं, हमने तो बिल तैयार करके पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा भिजवा दिये है जो बिल ऑनलाईन है । मैं तुमसे कोई बातचीत नही करूंगा इत्यादि बातचीत की गई जिस पर मैं ग्राम सचिव से भी मिला तो ग्राम सचिव ने भी मेरे बिल पंचायत समिति बदनोर पर भिजवाने के सम्बन्ध में बताया ।" परिवादी द्वारा बताये गये उक्त हालातों से अब संदिग्ध आरोपी श्री नन्द लाल भील सरपंच पुत्र द्वारा रिश्वत राशि नही लेगा क्योकि उसको ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की भनक/शक होने से अग्रिम कार्यवाही सम्भव नही है तथा वह परिवादी से अब कोई रिश्वत राशि की मांग/लेन–देन नही करेगा । तत्पश्चात् समय करीब 01.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यालय के जरिये दूरभाष से पूर्व कार्यवाही में सम्मिलित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी व्याख्याता के मोबाईल नम्बर 7357502275 एवं डॉ0 दुश्यन्त पाल सिंह सहायक आचार्य के मोबाईल नम्बर 98873–31555 पर कर उक्त दोनो को ब्यूरो

डिजीटल वॉईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर उपरोक्त 07 वार्ताएं जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए **ADATA** कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड बरंग कालें में रिकॉर्ड है । उक्त सरकारी **ADATA** कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध मे फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के ब्यूरो के परिवादी श्री गोपाल लाल रावल तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुर्यकान्त सैनी व्याख्याता एवं डॉ. दुश्यन्त पाल सिंह, सहायक आचार्य को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी (1) श्री नन्दलाल भील पुत्र श्री बालूराम भील उम्र व्यस्क, जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा (सरपंच पुत्र) एवं (2) श्रीमती कोयली देवी पत्नि श्री बालू राम भील उम्र व्यस्क जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हाल सरंपच ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा द्वारा परिवादी श्री गोपाल लाल रावल पुत्र श्री शम्भू लाल रावल उम्र 38 साल जाति रावल निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा से उसके निजी साधनों को फर्म साहूं एग्रो ट्रेडर्स में संचालित होने वाले साधनों तथा निविदा में किये जाने वाले कार्यो का फर्म का भुगतान 01.37 करोड रूपये के बकाया बिलों को भुगतान करने की एवज में सरपंच पुत्र श्री नन्दलाल भील द्वारा कमीशन पेटे 04.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना जिसमें से दिनांक 06.04.2023 को 02.00 लाख की रिश्वत राशि उप सरपंच प्रतिनिधि श्री चम्पा लाल बलाई के मार्फत प्राप्त किये एवं शेष रिश्वत राशि 02.50 लाख रूपये की और मांग करने पर दिनांक 13.04.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ द्वारा करवाये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए मोबाईल पर एवं दिनांक 20.04.2023 को परिवादी एवं सरंपच श्रीमती कोयली देवी के मध्य आमने-सामने रूबरू हुई वार्ता में आरोपी श्री नन्दलाल भील द्वारा पूर्व में दिनांक 13. 04.2023 को की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 02.50 लाख रूपये की राशि और मांग करने की पुष्ठि की गई थी जिस पर ब्यूरो के द्वारा नियमानुसार दिनांक 20. 04.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया था जिस पर उक्त दिनांक को ट्रेप कार्यवाही की भनक/शंका आरोपी को हो जाने से सरंपच पुत्र श्री नन्दलाल भील ने वार्ता होने के बावजूद मौके पर आया ही नही तथा मोबाईल भी बन्द कर लिया एवं घर से किसी गुप्त स्थान पर चला गया । इस प्रकार आरोपी ने रिश्वत राशि ग्रहण ही नही की जिसकी वह डिमाण्ड कर चुके थे ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से तथा दिनांक 13.04.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता (मोबाईल वार्ताएं) एवं दिनांक 20.04.2023 को परिवादी एवं सरंपच श्रीमती कोयली देवी के मध्य आमने-सामने रूबरू हुई वार्ता से आरोपी (1) श्री नन्दलाल भील पुत्र श्री बालूराम भील उम्र व्यस्क, जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा (सरपंच पुत्र) के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं (2) आरोपिता श्रीमती कोयली देवी पत्नि श्री बालू राम भील उम्र व्यस्क जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हाल सरंपच ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण (1) श्री नन्दलाल भील पुत्र श्री बालूराम भील उम्र व्यस्क, जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा (2) श्रीमती कोयली देवी पत्नि श्री बालू राम भील उम्र व्यस्क जाति भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा हाल सरंपच ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्रीमती कोयली देवी, पत्नि श्री बालू राम भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा हाल सरंपच ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा 2. श्री नन्दलाल भील पुत्र श्री बालू राम भील निवासी ग्राम गोरण्डिया, ग्राम पंचायत बाजून्दा पंचायत समिति बदनोर जिला भीलवाडा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 253/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

20.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2817-20 दिनांक 20.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

20.9.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।